

29/9/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रार्थी उप है।
वकील पक्षकारान उप है। ~~पक्षकारान~~ उभय
~~पक्षकारान~~ ~~विशेष~~ को पेश

पक्षकारान की खटस रुकी गई।

पत्रावली का अवलोकन

में पत्रावली पत्रावली में

उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्य

लक्ष्मीलाल कुलेश के पत्रावली

रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी

का प्रार्थना स्वीकार किया

जाता उचित प्रतीत होता है

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

जाता है नियम प्रथम से लकीर किया

जाकर शामिल मिलल है। आदेश

कुलेश यात्रालय के सुनाया गया पत्रावली

फैसल कुमार डोकर पूर्ण से सजात है।

दाखिल हुए हैं।

~~उपस्थित~~ अधिकारी
सांभरलेक